प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन (31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष की निष्पादन लेखापरीक्षा – 2014 की संख्या 31) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है। इस प्रतिवेदन में भारतीय रेल की माल गाड़ियों के प्रबंधन की समीक्षा के परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियां 2012-13 के दौरान संचालित नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के साथ-साथ पिछले वर्षों में संचालित लेखापरीक्षा के परिणामों जो कि पिछली रिपोर्टों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, पर आधारित हैं।